न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बापिणी जिला फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— अमिता विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—45 / 2024
Gcms no. 2024/7

प्रार्थी :—

01. उदयसिंह दत्तक पुत्र भोजराजसिंह जाति राजतपुत निवासी बापिणी खुर्द तहसील बापिणी जिला फलौदी।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. खेतसिंह पुत्र तेजसिंह
2. जबरसिंह पुत्र तेजसिंह
3. दीपसिंह पुत्र तेजसिंह
4. आसुसिंह पुत्र तेजसिंह
5. बाबुसिह पुत्र तेजसिंह
6. कालुसिंह पुत्र पेपसिंह
7. गुमानसिंह पुत्र जबरसिंह
8. फतेहसिंह पुत्र जवाहरसिंह
9. भैरूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
10. भीवसिंह पुत्र मोडसिंह
11. नखतसिंह पुत्र भीखसिंह
12. मदनकंवर पत्नी नखतसिंह
13. भोमसिंह पुत्र खानुसिंह
14. हरीसिंह पुत्र खानुसिंह
15. भैरूसिंह पुत्र जोरसिंह
16. राजुसिंह पुत्र जोरसिंह
    सभी जाति राजपुत
17. मनुदेवी पतनी नत्थामल जाति सुथार
18. दिलिप कुमार पुत्र जयनारायण जाति महेश्वरी
19. जितेश पुत्र भंवरलाल
20. फुसाराम पुत्र पीरदान
21. भंवरलाल पुत्र जयनारायण
22. अनीता पत्नी मनोज कुमार
23. आसुराम पुत्र पुरखाराम
24. ओमप्रकाश पुत्र पोकरराम
25. जेठाराम पुत्र शिवनारायण
26. तेजाराम पुत्र हरजीराम जाति कुम्हार निवासी बापिणी खुर्द तहसील बापिणी जिला फलौदी
27. ग्राम पंचायत बापिणी खुर्द
28. तहसीलदार बापिणी जरिये भूमिधारी राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

सहायक कलेक्टर बापिणी

प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–
अधिवक्ता प्रार्थीगण :– राजुराम चौधरी।
अप्रार्थीगण संख्यां (1 से 27) की ओर से :– कोई नहीं।
अप्रार्थीगण संख्यां 28 की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 7/10/2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर बताया कि बापिणी तहसील के पटवार मण्डल बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी खुर्द में प्रार्थी की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 179 रकबा 3.2213 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 226 रकबा 4.9291 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है जिसका सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किये गये तथा अप्रार्थीगण सम्मन तामिल सुदा न्यायालय को प्राप्त हुऐ और प्रार्थना पत्र का जबाब दिये जाने एंव अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय एंव अवसर किये जाने के बावजुद अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ। जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.09.2025 को अमल में लाई गई। तथा अप्रार्थीगण संख्यां 28 की ओर राज–पैरोकार उपस्थित हुऐ।

अप्रार्थीगण संख्यां 28 की ओर से जबाब पेश कर देने पर शेष अप्रार्थीगण की ओर से कोई नहीं आने पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करने का अनुरोध किया। विद्ववान अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरान को दौहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बापिणी खुर्द के खेत खसरा नम्बर 179 व 226 की जमीन की सुरक्षा के लिए जाली तारबन्दी करवाकर पत्थरगढी करवाकर खेत के कणा माठ कायम करवाने हेतू पेमाईस व पत्थरगढी करवाना चाहते है और पडौसी खेत खसरान् के खातेदार अप्रार्थीगण प्रार्थी की जमीन पर सीमा माठ को खुर्द–बुर्द करने की चेष्ठा कर रहे हैं। उक्त आराजियत के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं हैं। प्रार्थी की खातेदारी भुमि के पुख्ता स्थाई मुटाम सुनियोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया हैं और प्रार्थी द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थना पत्र धारा 110, 111, 128 एल आर एक्ट में पेश किया हैं तथा प्रार्थी की भुमि की पैमाईश अनुसार चिन्हीत स्थान पर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थी की उक्त आराजियत का सिमाकंन करवाया जा कर पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। तथा राज–पैरोकार के जबाब में पत्थरगढी की जाना उचित बताया हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर विद्ववान अभिभाषक की बहस सुन कर मनन करने पर पाया गया हैं कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ईस्तदुआ अनुसार प्रार्थी के पडौसीयान के मध्य प्रश्नगत आराजी के बीच स्थाई सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन पड़ोसीं से सीमा संम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है और पत्थरगढी के अभाव में खेत में बोयी जाने वाली

सहायक कलेक्टर बापिणी

फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। चुकिं प्रार्थी भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं एंव प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया हैं अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढी करवायी जाना उचित प्रतीत हो रही हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है और ऐसी ही प्रार्थी ने इस्तदुआ चाही हैं। तथा इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक न्याय में स्वीकार किये जाने के योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार बापिणी के पटवार मण्डल बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी खुर्द में स्थित हैं। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बापिणी खुर्द में खसरा नम्बर 179 रकबा 3.2213 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 226 रकबा 4.9291 हैक्टेयर जमीन का सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर रिकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा पत्थरगढी के दौरान् मौके पर किसी अन्य का स्थाई कब्जा पाया जाये तो उसे जरिये पत्थरगढी नहीं हटाया जाये तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करें। हस्तगत दरख्वास्त की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से पेश करें। निर्णय पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 7 /10/2025 को सुनाया गया।

(अमिता विश्नोई) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बापिणी
सहायक कलेक्टर बापिणी